

PLANNING DEPARTMENT
H.P. SHIMLA-2

Dated: 23rd August, 2018

Website: <https://hpplanning.nic.in/>

APPLICATIONS ARE INVITED FROM DESIROUS AND ELIGIBLE CANDIDATES, FOR RECRUITMENT TO THE POST(S) OF PEON (CLASS-IV) ON DAILY WAGES IN PLANNING DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-2.

Name of Post	Number of Posts
Peon (Class-IV) (on Daily wages)	Total =03 (GEN-1, GEN (Antodya/BPL) = 1, OBC=1) Rs. 225/-per day

IMPORTANT INSTRUCTIONS:-

1. Date for determining eligibility of all candidates in respect of essential qualification(s) and experience, if any, etc., shall be the prescribed closing date for submission applications on plain paper i.e. 15-10-2018.
2. The candidates must read the INSTRUCTIONS CAREFULLY FOR APPLYING, which are available on the website of the Planning Department, i.e. <https://hpplanning.nic.in/> before applying for the above post.
3. The candidates must ensure their eligibility in respect of category, age and essential qualification(s) etc. as mentioned in the advertisement to avoid rejection at any later stage.
4. The benefit of reservation will be admissible only to the candidates, who are bonafide residents of Himachal Pradesh.
5. The candidates must be registered with employment exchange in Himachal Pradesh.
6. In service candidates may apply with information to their Head of Departments/ Employer for issuing NOC. No in service candidate will be evaluated unless he/she brings NOC from the concerned employer.
7. Disputes, if any, shall be subject to Court jurisdiction at Shimla.

ELIGIBILITY CONDITIONS

1.	AGE	Between 18 years and 45 years. Clarification:-
	a.	Age of a candidate shall be reckoned as on 01-01-2018.
	b.	Five years relaxation in upper age limit is admissible only to the bonafide SC of H.P. / ST of H.P. / OBC of H.P. /WFF of H.P. / Persons with disabilities of Himachal Pradesh. For H.P. Govt. employees and Ex- Servicemen of H.P.; age relaxation is as per Government's instructions issued from time to time.

2.	Essential Qualification (s)	<p>(a) Essential Qualification (s) Should have passed Matriculation Examination or its equivalent from recognized Board of School Education/Institution.</p> <p>(b) Desirable Qualification(s): Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p>
----	-----------------------------	--

NOTE :

- The decision of the Department regarding eligibility etc. of a candidate for selection will be final and no correspondence / personal enquiries will be entertained.
- Onus of proving that a candidate has acquired essential qualification(s) by the stipulated date is on the candidate and in the absence of proof to the contrary, the date as mentioned on the face of certificate/ degree or the date of issue of certificate / degree shall be taken as date of acquiring essential qualification. No extra opportunity shall be provided to the candidates to produce appropriate certificates at the time of evaluation.

HOW TO APPLY:-

The Candidates must apply on plain paper with all the supporting documents and applications should reach in the office of Adviser (Planning) Room No. 503, Yojna Bhavan, H.P. Secretariat, Shimla-171002 on or before 15-10-2018.

EXAMINATION FEES:-NO EXAMINATION FEE.

SCHEME OF EXAMINATION

In view of Government of Himachal Pradesh Department of Personnel Notification No. Per (AP.B)B(15)-5/2014 dated 17-04-2017 for Class-IV posts the selection shall be made on the basis of percentage of Marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85. For example, a candidate getting 50% marks in Matric will be given 42.5 marks followed by evaluation, based on the following parameters:

CRITERIA OF EVALUATION FOR 100 MARKS FOR VARIOUS CLASS-IV POSTS

Sr. No.	Detail of Criteria of 100 marks	Marks	Competent authority to issue the certificate*
1	Percentage of marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85.(For example , a candidate getting 50% marks in matric will be given 42.5 marks.)	85 (EightyFive)	Concerned University/Board
2	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1 (one)	Concerned SDO(C), Tehsildar/ NaibTehsildar
3	Land less family / family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	2(two)	Concerned SDO(C), Tehsildar/ NaibTehsildar
4	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government.	2.5(Two & half)	Concerned SDO(C), Tehsildar/ NaibTehsildar

5	Differently abled persons with more than 40% permanent impairment / disability / infirmity .	1(one)	Health&Family Welfare authorities /Medical Boards
6	NSS (atleast one year) certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions.	1(one)	Concerned Head of Institution. Certificate of medal winners in National level sports competitions shall be issued by concerned District Youth Services and Sports officer/Head of Institution.
7	BPL family having family annual income (from all sources) below Rs. 40,000 /- or as prescribed by the Govt. from time to time.	2.5(Two& half)	Concerned BDO by taking the authenticated entries in the 'Parivar Register' as the basis of such certificate.
8	Widow /divorced/destitute /single woman.	1.5(One& half)	Concerned BDO by taking the authenticated entries in the 'Parivar Register' as the basis of such certificate.
9	Single daughter/Orphan.	1(one)	Concerned BDO by taking the authenticated entries in the 'Parivar Register' as the basis of such certificate.
10	Experience up to a maximum of 5 years in Govt./ semi-Govt. organization relating to the post applied for (0.5 mark only for each completed year).	2.5 (Two & half)	Competent authority to the concerned Govt. /semi Govt Organization.

* **Note:-** For item no. (2) to (9) the authority competent to issue certificate is as per letter No. Per(AP-B) B(15)5/2014-loose-I dated 18-07-2017 issued by ACS (Personnel) to the Govt. of H.P.

CATEGORY CLAIMS:-

The category once claimed by the candidate(s) will not be allowed to be changed after the evaluation.

The O.B.C. of Himachal Pradesh must possess such certificates(s) in support of their claims made in the application, while applying for these posts / services. **The benefit of reservation will be admissible on parental basis only.** All the candidates belonging to reserved categories are also required to go through the relevant instructions issued from time to time by the Government of Himachal Pradesh, in order to ensure that they are eligible under a particular category.

OBC of H.P. (OTHER BACKWARD CLASSES OF HIMACHAL PRADESH):-

Candidates belonging to OBC of H.P. category must produce OBC certificate on the prescribed format valid till the relevant term of the Financial Year (1st April to 31st March) as notified by the Government of Himachal Pradesh (in the Department of Revenue) in Rajpatra dated 09th January, 2012. Candidates must have valid OBC Certificates covering the entire period from last date of submission of applications till date of evaluation along with an undertaking that his/her status as OBC has not changed and he/she has not been excluded from the category of O.B.C. of H.P. on account of being covered under creamy layer.

OTHER CONDITIONS:-


1. All candidates, whether in Government Service or Government owned Industrial or Public Enterprises or other similar organizations or in private employment should submit their applications directly to the Department. Persons already in regular Government service, whether in a permanent or temporary capacity are required to submit a declaration that they have informed in writing to their Head of Office/ Department that they have applied for a particular post. In case, a communication is received from their employer by the Department withholding permission to any candidate applying for said post his/her application(s) will be liable to be rejected.
2. Casual/ adhoc / daily rated/ work charged/contractual employees do not need to produce NOC from the concerned employer.
3. In Government service (regular service) candidates may apply to the Department with information to their Head of Departments / Employer for issuing NOC. Any candidates, who are in regular Government Service or Government owned Industrial service, will not be evaluated unless he/she produces NOC from the concerned employer.
4. Furnishing of false information and documents or suppression of any factual information in the application form would entail disqualification. If the fact that false information / document(s) has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the application; comes to the notice at any time during the service of a person, his/her service would be liable to be terminated.
5. The applicant shall paste his/her photograph in the application form.
6. **The desirous candidate must be registered with the employment exchange in Himachal Pradesh.**
7. The candidates applying for the post(s) should ensure that they fulfill all the eligibility conditions to attend evaluation process. Their admission for Evaluation will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or during evaluation process, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions; their candidature for the examination will be cancelled by the Department.
8. Candidate who is or has been declared by the Department to be guilty of:-
 - (a) Obtaining support for his/her candidature by the following means, namely:-
 - offering illegal gratification to, or
 - applying pressure on, or
 - blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination, or

- (b) impersonating, or
- (c) procuring impersonation by any person, or
- (d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Department for the conduct of evaluation process, or
- (g) attempting to commit or as the case may be abetting the Department of all or any of the acts specified in the foregoing clauses; may in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable to be disqualified by the Department from the examination for which he/she is a candidate and/or
- (h) to be debarred either permanently or for specified period:-
 - by the Department from any examination or selection held by them.
 - by the Central/State Government from any employment under them, and
- (i) If he/she is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate Rules. Provided that no penalty under these Rules shall be imposed except after:-
 - giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he/she may wish to make in that behalf; and
 - Taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him/her into consideration.

DISQUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO EVALUATION PROCESS:

No candidate will be eligible for admission to the evaluation process:-

- a) If he/ she has been dismissed from any previous service;
- b) If he/ she has been convicted of any offence involving moral turpitude or has been permanently debarred / disqualified from appearing in any examination or selection;
- c) If he / she is found either directly or indirectly influencing the selection process in any manner;
- d) If a male candidate who has more than one living wife and if a female candidate, who has married a man already having another wife; or
- e) If he / she is an un-discharged insolvent.


Adviser (Planning)
H.P. Shimla-2

EVALUATION FORM
PLANNING DEPARTMENT H.P. SHIMLA-2
CRITERIA OF EVALUATION FOR 100 MARKS FOR THE POST OF PEON
(CLASS-IV) (TO BE FILLED BY CANDIDATE)

Sr. No.	Detail of Criteria of 100 marks	Marks	Marks Claimed by the candidate
i	Percentage of marks obtained in qualifying examination to be calculated out of 85.(For example , a candidate getting 50% marks in matric will be given 42.5 marks.)	85 (EightyFive)	
ii	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1 (one)	
iii	Land less family / family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	2(two)	
iv	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi Government.	2.5(Two & half)	
v	Differently abled persons with more than 40% impairment / disability / infirmity	1(one)	
vi	NSS (atleast one year) certificate holders in NCC /The Bharat Scout and Guide. Medal winner in National level sports competitions.	1(one)	
vii	BPL family having family annual income (from all sources) below Rs. 40,000 /- or as prescribed by the Govt. from time to time.	2.5(Two& half)	
viii	Widow /divorced/destitute /single woman.	1.5(One& half)	
ix	Single daughter/Orphan.	1(one)	
x	Experience up to a maximum of 5 years in Govt./ semi-Govt. organization relating to the post applied for (0.5 mark only for each completed year).	2.5 (Two & half)	
	TOTAL	100(Hundred)	

Note:-Wherever marks are claimed, candidate is required to attach attested/ self-attested copy of markssheet/certificate and to show the original to Department when called to do so.

Encls:

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

Signature of the Candidate

Name _____
Address _____

**योजना विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला-2**

दिनांक 23 अगस्त 2018

वेबसाइट: <https://hpplanning.nic.in/>

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला -2 में दैनिक मजदूरी पर चपड़ासी (वर्ग -IV) के पदों की भर्ती के लिए आवेदन योग्य उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जाते हैं।

पद नाम	पदों की संख्या
चपड़ासी वर्ग-IV (दैनिक मजदूरी पर)	कुल पद =03 (सामान्य-1, सामान्य(अन्तोदय/बी पी एल)=1, अन्य पिछड़ा वर्ग =1)
	रूपये 225/-प्रतिदिन

महत्वपूर्ण निर्देश: -

1. आवेदन पत्र सादे कागज पर आवश्यक योग्यता (ओं) और अनुभव, यदि कोई हो, आदि के संबंध में सभी उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने की तारीख यानी 15-10-2018 तक जमा करने के लिए निर्धारित समाप्ति तिथि होगी।
2. उम्मीदवारों को आवेदन के लिए सावधानी से निर्देशों को पढ़ना होगा, जो उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने से पहले योजना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, यानी <https://hpplanning.nic.in/>
3. अभ्यर्थियों को किसी भी बाद के चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए विज्ञापन में वर्णित श्रेणी, आयु और आवश्यक योग्यता इत्यादि के संबंध में उनकी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी।
4. आरक्षण का लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होगा, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हैं।
5. उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
6. सेवारत उम्मीदवार एनओसी जारी करने के लिए अपने विभागों के प्रमुख/ नियोक्ता को जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं। सेवारत उम्मीदवार का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जब तक वह संबंधित नियोक्ता से एनओसी नहीं लाता है।
7. विवाद, यदि कोई हो, शिमला में न्यायालय क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

पात्रता शर्तें

आयु	18 और 45 साल के बीच आयु। स्पष्टीकरण:- (a) उम्मीदवार की आयु की गणना 01-01-2018 को मानी जाएगी। (b) ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट केवल हिमाचली SC/ST/OBC/WFF/ हिमाचल प्रदेश के विकलांगों के लिए स्वीकार्य है। हि०प्र० सरकार के कर्मचारी एवं हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु छूट सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।
आवश्यक योग्यता	(क) आवश्यक योग्यता मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष पास हो (ख) वांछनीय योग्यता: हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान असाधारण स्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

ध्यान दें :-

• चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता आदि के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा और कोई पत्राचार / व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होगी।

• यह साबित करने के लिए कि एक उम्मीदवार ने निर्धारित तिथि से आवश्यक योग्यता प्राप्त की है, उम्मीदवार द्वारा और सबूत की अनुपस्थिति में, प्रमाण पत्र / डिग्री या प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के अनुसार उल्लिखित तिथि / डिग्री आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख के रूप में लिया जाएगा। मूल्यांकन के समय उचित प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें:-

अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ सादे कागज पर आवेदन करना होगा और आवेदन सलाहकार (योजना) कक्ष संख्या 503, योजना भवन, सचिवालय, शिमला-171002 हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में 15-10-2018 तक पहुंच जाना चाहिए।

परीक्षा शुल्क:- कोई परीक्षा शुल्क नहीं।

परीक्षा की योजना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या पर (एपीबी) बी (15) -5/2014 दिनांक 17-04-2017 द्वारा वर्ग -IV पदों के लिए चयन तय अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा जो 85 अंको से तय किये जायेंगे। उदाहरण के लिए, मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे तत्पश्चात निम्नलिखित पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकन के बाद अंक दिए जायेंगे :

विभिन्न वर्ग -IV पदों के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन के मापदंड:-

क्रम संख्या	100 अंकों के मापदंडों का विवरण	अंक	प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी
1	कालीफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए, मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे।)	85	संबंधित विश्वविद्यालय / बोर्ड
2	यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से संबंधित हो।	1	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार
3	भूमि हीन परिवार / परिवार के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि का प्रमाण पत्र जो कि संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।	2	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार
4	गैर-रोजगार प्रमाण पत्र इस आशय के साथ कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।	2.5	सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीलदार
5	40% से अधिक स्थायी/विशेष रूप से सक्षम / दिव्यांग	1	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी/ मेडिकल बोर्ड

6	एनएस एस (कम से कम एक वर्ष) एनसीसी / भारत स्काउट और गाइड में प्रमाणपत्र धारक। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता।	1	संबंधित संस्थान के प्रमुख। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं का प्रमाणपत्र संबंधित जिला युवा सेवाओं और खेल अधिकारी/ संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो।
7	बीपीएल परिवार के पास पारिवारिक वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) रु० 140,000/-से कम या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार।	2.5	संबंधित बीडीओ, 'परिवार रजिस्टर' में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर।
8	विधवा/ तलाकशुदा /निराश्रित/ एकल महिला।	1.5	संबंधित बीडीओ, 'परिवार रजिस्टर' में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर।
9	एकल बेटी / अनाथ।	1	संबंधित बीडीओ, 'परिवार रजिस्टर' में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर
10	सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान में पद से सम्बन्धित अधिकतम 05 वर्षों का अनुभव। (0.5 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए)	2.5	संबंधित सक्षम प्राधिकारी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संगठन।

* नोट: - आइटम नंबर(2) से (9) के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) द्वारा जारी पत्र संख्या Per(AP-B)B(15)5/2014-loose दिनांक 18-07-2017 के अनुसार है।

श्रेणी दावा: -

अभ्यर्थी द्वारा अध्याचित श्रेणी को मूल्यांकन के बाद बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश के ओबीसी के पास इन पदों /सेवाओं के लिए आवेदन करते समय आवेदन में किए गए अपने दावों के समर्थन में ऐसे प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का लाभ केवल माता-पिता के आधार पर स्वीकार्य होगा। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित सभी उम्मीदवारों को समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों की जानकारी होना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे एक विशेष श्रेणी के तहत पात्र हैं।

हिमाचल प्रदेश के अन्य बैकवर्ड क्लास: -

हिमाचल प्रदेश के ओबीसी से संबंधित उम्मीदवार श्रेणी को 9 जनवरी, 2012 को राजपत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार (राजस्व विभाग) द्वारा अधिसूचित वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) की प्रासंगिक अवधि तक मान्य प्रारूप पर ओबीसी प्रमाण पत्र तैयार करना होगा। प्रार्थी का प्रमाणिक पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से मूल्यांकन की तिथि तक मान्य होना चाहिए तथा प्रमाण सहित यह स्पष्ट हो की प्रार्थी की हैसियत पिछड़ा वर्ग से परिवर्तित नहीं हुई है तथा वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आता है।

अन्य शर्तें:-

1. सभी उम्मीदवार, चाहे वह सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या सार्वजनिक उद्यमों या अन्य समान संगठनों में या निजी रोजगार में हो, को अपना आवेदन सीधे विभाग को जमा करना होगा। पहले से ही स्थायी सरकारी सेवारत व्यक्ति, चाहे स्थायी या अस्थायी क्षमता में हो, को एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उन्होंने अपने कार्यालय / विभाग के प्रमुख को लिखित रूप में सूचित किया है कि उन्होंने किसी पद के लिए आवेदन किया

है। यदि किसी नियोक्ता द्वारा आवेदन करने वाले किसी उम्मीदवार को अनुमति देने के लिए मना करने हेतु कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

2. आकस्मिक / अस्थाई / दैनिक रूप में कार्यरत / अनुबंधित कर्मचारियों को संबंधित नियोक्ता से एनओसी लाने की आवश्यकता नहीं है।

3. सरकारी सेवा (नियमित सेवा) में उम्मीदवार विभाग प्रमुख/नियोक्ता को एनओसी जारी करने की सूचना के साथ आवेदन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार, जो नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाली औद्योगिक सेवा में हैं, का मूल्यांकन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वे संबंधित नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत नहीं करते।

4. आवेदन पत्र में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी की झूठी सूचना और दस्तावेजों का देना पात्रता में अयोग्यता होगी। यदि सेवा के दौरान किसी भी समय नोटिस पर आता है कि झूठी सूचना / दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं या आवेदन में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी का दमन हुआ है; तो व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

5. आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी फोटो पेस्ट करनी होगी।

6. इच्छुक उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

7. पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन मूल्यांकन के लिए उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी समय पर, यह पाया जाता है कि वे पात्रता शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

8. अभ्यर्थी जो विभाग द्वारा दोषी घोषित किया गया है: -

(ए) निम्नलिखित माध्यमों से उसकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अर्थात्: -

- अवैध परितोषण की पेशकश, या
- दबाव डालना, या
- ब्लैकमेलिंग, या परीक्षा के कार्य संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या धमकी देना, या

(बी) प्रतिरूपण, या

(सी) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करना, या

(डी) फर्जी दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गयी है, या

(ई) ऐसा बयान देना जो झूठा हो, या

(एफ) मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा नियोजित कर्मचारियों को शारीरिक नुकसान पहुँचाना

(जी) प्रतिबद्ध करने का प्रयास कर रहा है या मामला पूर्वगामी खंडों में निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य से विभाग को परेशान करता हो, आपराधिक अभियोजन पक्ष के लिए खुद को उत्तरदायी बनाने के अलावा, विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह उम्मीदवार है और / या

(एच) तो स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए debarred किया जा सकता है: -

- विभाग द्वारा उनके तहत आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से।

- केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा उनके तहत किसी भी रोजगार से, और

(आई) यदि वह सरकार के अधीन सेवा में है तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, बशर्ते कि इन नियमों के तहत कोई दंड लागू नहीं किया जाएगा, सिवाय निम्नलिखित के पश्चात्: -

- उम्मीदवार को लिखित में अपना पक्ष रखने का मौका देने ; तथा

- अभ्यर्थी द्वारा दी गई अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए अम्यावेदन , यदि कोई हो, तो उसे लेना।

मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रवेश के लिए अपात्रता:

कोई भी उम्मीदवार मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा: -

ए) अगर उसे किसी भी पिछली सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है;

बी) यदि उसे नैतिक अशांति से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी भी परीक्षा या चयन में भाग लेने से स्थायी रूप से वंचित / अयोग्य घोषित किया गया है;

सी) यदि वह किसी भी तरीके से चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है;

डी) यदि एक पुरुष उम्मीदवार जिसके पास एक से अधिक जीवित पत्नी हैं और यदि महिला उम्मीदवार है, जिसने ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी दूसरी पत्नी है ; या

ई) यदि वह एक अमुक्त दिवालिया है।

सलाहकार (योजना)
हि०प्र० शिमला -2

मूल्यांकन प्रपत्र
योजना विभाग हि०प्र० शिमला -2
चपड़ासी (वर्ग -IV) के पद के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन का मापदंड
(उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए)

क्रम संख्या	100 अंकों के मापदंडों का विवरण	अंक	उम्मीदवार द्वारा दावा किये गये अंक
1	कालीफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए, मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे।)	85	
2	यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से संबंधित हो।	1	
3	भूमि हीन परिवार / परिवार के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो कि संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।	2	
4	गैर-रोजगार प्रमाण पत्र इस आशय के साथ कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है।	2.5	
5	40% से अधिक स्थायी/विशेष रूप से सक्षम / दिव्यांग	1	
6	एनएस एस (कम से कम एक वर्ष) एनसीसी / भारत स्काउट और गाइड में प्रमाणपत्र धारक। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता।	1	
7	बीपीएल परिवार के पास पारिवारिक वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) रु० 140,000/-से कम या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार।	2.5	
8	विधवा/ तलाकशुदा / निराश्रित / एकल महिला।	1.5	
9	एकल बेटी / अनाथ।	1	
10	सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान में पद से सम्बन्धित अधिकतम 05 वर्षों का अनुभव। (0.5 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए)	2.5	

नोट: - जहाँ भी अंको का दावा किया गया हो, उम्मीदवार को अंक पत्र / प्रमाण पत्र की प्रमाणित / स्वयं-सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी और बुलाये जाने पर मूल प्रमाण पत्र विभाग को दिखाना होगा।

अनुलग्नक :

1. 2.
3. 4.
5. 6.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____